

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 328/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना दीदारगंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी मन्नू उर्फ अभिमन्यू पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष द्वारा वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 222/25 धारा 87,137(2) BNS बनाम मन्नू उर्फ अभिमन्यू पुत्र लालचन्द उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बनाम पंजीकृत किया गया, विवेचना के दौरान धारा 64(1) BNS व ¼ पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 09.09.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 मन्नू उर्फ अभिमन्यू पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को पुष्पनगर बाजार समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. मन्नू उर्फ अभिमन्यू पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 222/25 धारा 87,137(2) BNS बढोत्तरी 64(1) BNS व ¼ पास्को एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 उपेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़



02. थाना जहानागंज: गोवध में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोटरसाइकिल एमवी एक्ट में सीज ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 03.09.25 को उ0नि0 शिवम त्यागी मय हमराह द्वारा 70 किलो प्रतिबंधित मांस दो बोरी में बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0स0 276/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात व मोटर साइकिल वाहन बतपत्तीशी उ0नि0 ओम प्राकश यादव के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 09.09.2025 को उ0नि0 ओम प्राकश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दोनो अभियुक्त एक मोटरसाइकिल से अकबेलपुर की तरफ से जहानागंज की तरफ आ रहे है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुँचकर कोल्हुखोर गाँव के मोड़ के पास से 02 अभियुक्त 1.असफाक आलम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 मो0 शमीम निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष 2. असफाक अहमद उर्फ डब्लू पुत्र फकरु हसन निवासी शहीद नगर कस्बा जहानागंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष को समय करीब 11.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग—

1-मु0अ0स0 276/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास-

1.असफाक आलम उर्फ सोनू पुत्र स्व0 मो0 शमीम निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

1. मु0अ0स0 0350/2022 धारा 8/2 NDPS अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़

2. मु0अ0स0 0229/2019 धारा 60(1) अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़

3. मु0अ0स0 0232/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

4. मु0अ0स0 0220/2017 धारा 380/411 भादवि0 अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़

2. असफाक अहमद उर्फ डब्लू पुत्र फकरु हसन निवासी शहीद नगर कस्बा जहानागंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष

बरामदगी:-

1- घटना में प्रयुक्त एक अदद अपाची मोटरसाइकिल यूपी 50 बीके 0467

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 ओमप्राकश यादव, हे0का0 अमरेश सिंह व का0 ऋषि कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़



03.थाना कप्तानगंज: धर्मान्तरण के आरोप में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 08/09/2025 को आवेदक शुभम पाण्डेय पुत्र लाल जी पाण्डेय निवासी ग्राम पुरखीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि आरोपी सईद पुत्र अज्ञात द्वारा वादी को बार-बार दुसरे धर्म स्वीकार करने हेतु दबाव बना रहा तथा पूर्व मे भी वादी से दुसरे धर्म की बुराईयाँ तथा विशेष धर्म की अच्छाईयाँ बताने, व वादी द्वारा मना करने गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 275/2025 धारा- 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, 351(3), 352 बी0एन0एस0 बनाम- शराफत अली निवासी ग्राम धौरे मऊ थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर हाल पता – राकेश शर्मा का मकान महाराजगंज रोड देउरपुर बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ को सुपुर्द हुयी ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 08.09.2025 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शराफत अली निवासी ग्राम धौरे मऊ थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर हाल पता – राकेश शर्मा का मकान महाराजगंज रोड देउरपुर बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को कौड़िया व देउरपुर के बीच मे बस्ती जफतीमाफी गाव के रास्ते से समय करीब 17.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0- 275/2025 धारा- 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 व 351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1- शराफत अली निवासी ग्राम धौरे मऊ थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर हाल पता – राकेश शर्मा का मकान महाराजगंज रोड देउरपुर बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ , का0 बृजेश गौड़ व कां0 सुधांशु सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।



04.थाना – अहरौला: दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 06.09.2025 को वादी राजवती पत्नी गंगाराम निवासी फत्तेपुर मानिकपुर थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री प्रीती पत्नी शोले आयु लगभग 27 वर्ष की शादी जून 2020 को हुई विपक्षीगण द्वारा दहेज की मांग करते हुए मारना पीटना तथा फांसी लगाकर हत्या कर दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम – 1. शोले पुत्र हरीराम 2. प्रभावती पत्नी हरीराम 3. अंजली पुत्री हरीराम 4. लक्ष्मीना पुत्री हरीराम निवासीगण फरीदपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 09.09.2025 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. शोले पुत्र हरीराम निवासी फरीदपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व अभियुक्ता प्रभावती पत्नी हरीराम निवासी फरीदपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को बरामदपुर पुलिस के पास से समय करीब 13.00 बजे अन्तर्गत धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शोले पुत्र हरीराम निवासी फरीदपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष
2. प्रभावती पत्नी हरीराम निवासी फरीदपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 322/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रदीप कुमार थानाध्यक्ष अहरौला, आजमगढ़ 2. हे0का0 सतीश गौड 3. का0 सौरभ कुमार राय 4. म0का0 बन्दना सिंह थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ।

